

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा
पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, I.A.S.
प्रकरण संख्या -52/2018 (प्रार्थना पत्र)

शोभाराम आत्मज कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम अरन्या कलां तहसील
रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

—प्रार्थी.

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (एनएच-52)
2. यूनिवर्स ऑफ इंडिया जरिये महाप्रबन्धक (तक0) एवं प्रोजेक्ट
डायरेक्टर परियोजना, कार्यनवयन ईकाई, (एनएच-52)ए-504,
इन्द्रा विहार, कोटा

—अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र वास्ते विनिश्चय किये जाने अवार्ड राशि अन्तर्गत धारा
3 जी(5) दी नेशनल हाइवेज एक्ट 1956 एवं संशोधित अधिनियम
1997 सपटित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996

उपस्थिति

1. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रामस्वरूप शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी-2

निर्णय

दिनांक :-06.08.2019

1. यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 3 जी(5) एन.एच.एक्ट 1956 एवं संशोधित
अधिनियम 1997 सपटित मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 के तहत भूमि
अवाप्ति अधिकारी सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड, मजिस्ट्रेट
रामगंजमण्डी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 परियोजना के लिए अवाप्त भूमि के जारी
अवार्ड दिनांक 20.09.2017 व 16.11.2017 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त
में ग्राम बास्या हेडी तहसील रामगंजमण्डी में खसरा नम्बर 345,399,403, व 407
कुल 4 किता की कृषि आराजीयात स्थित है । खसरा नम्बर 399 का रकबा 0.5300
हे0 है । उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थी के खाते में दर्ज है ।
प्रार्थी के शामिलती खाते में ग्राम बास्या हेडी के खसरा नम्बर 341 की 1.09 हे0
आराजी स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा सहकृषक दर्ज है । ग्राम बास्या
हेडी के ख0नं0 402 की 0.21 हे0 में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रार्थी सहकृषक
दर्ज है । राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 52 के निर्माण हेतु उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि के
अवाप्ति की कार्यवाही की गयी है । इस हेतु ग्राम बास्याहेडी के ख0नं0 341 की 0.
383 हे0 एवं 0.0631 हे0 कृषि भूमि, ख0नं0 399की 0.2419 हे0 एवं 0.0792 हे0,
ख0नं0 402 की 0.0050 हे0 एवं 345 की 0.120 हे0 एवं 0.0228 हे0 कृषि भूमि का
मुआवजा दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 को प्रतिपक्षी नं0 1 सक्षम
प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की
अनुपस्थिति में घोषित किया जाकर अवार्ड जारी किया गया । दस्तावेज का
अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी को प्रचलित बाजार दर, डी0एल0सी0 दर
से काफी कम कीमत पर प्रार्थी की भूमि की कीमत का मूल्यांकन कर मुआवजा राशि
निर्धारित की गयी है जो अनुचित है । प्रार्थीप्रचलित बाजार दर के आधार पर
मुआवजा राशि प्राप्त करने का एवं नियमानुसार सोलेशियम की राशि एवं अन्य देय

जिला कलेक्टर
कोटा

लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का 5,18,630/- प्रति हेक्टेयर की दर से अर्थात् 82,980/- प्रति बीघा की दर से तीन गुना मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जबकि प्रार्थी प्रचलित बाजार दर के आधार पर 2,53,500/- प्रति बीघा के तीन गुना के हिसाब से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है उपरोक्त दर से समीप की भूमि विक्रय की गयी है, पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न है। साथ ही ग्राम बास्याहेडी के ख0 नं0 341 की कृषि आराजीयात में पक्की बाउण्ड्रीवाल हो रखी है जिसके मुआवजे की राशि 1,50,000/- प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है, अवार्ड में उक्त राशि का मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है। प्रार्थी को अवार्ड पारित किये जाने की दिनांक 23.5.2018 से पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। अवार्ड पारित होने की सर्वप्रथम जानकारी की तारीख 23.5.2018 से यह प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी को प्रचलित बाजार दर 2,53,500/- प्रति बीघा के तीन गुना के हिसाब से भूमि की कीमत की गणना कर एवं खसरा नम्बर 341 में स्थित बाउण्ड्रीवाल का मुआवजा तदनुसार सोलेशियम की राशि व अन्य देय लाभ प्रार्थी को दिये जाने के सम्बन्ध में संशोधित अवार्ड पारित किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

3. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की बिलबी की गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी नं0 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 52 के निर्माण हेतु प्रार्थी के कब्जे काश्त भूमि ग्राम बास्याहेडी के ख0 नं0 341 की 0.383 एवं 0.0631 हे0 कृषि भूमि, ख0 नं0 399 की 0.2419 हे0 एवं 0.0792 हे0, ख0 नं0 402 की 0.0050 हे0 एवं 345 की 0.120 हे0 एवं 0.0228 हे0 कृषि भूमि का मुआवजा दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 को प्रतिपक्षी नं0 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति में घोषित किया जाकर अवार्ड जारी किया गया। दस्तावेज का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि प्रार्थी को प्रचलित बाजार दर, डी0एल0सी0 दर से काफी कम कीमत पर प्रार्थी की भूमि की कीमत का मूल्यांकन कर मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है जो अनुचित है। प्रार्थी प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि प्राप्त करने का एवं नियमानुसार सोलेशियम की राशि एवं अन्य देय लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का 5,18,630/- प्रति हेक्टेयर की दर से अर्थात् 82,980/- प्रति बीघा की दर से तीन गुना मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है जबकि प्रार्थी प्रचलित बाजार दर के आधार पर 2,53,500/- प्रति बीघा के तीन गुना के हिसाब से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी है उपरोक्त दर से समीप की भूमि विक्रय की गयी है, पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न है। साथ ही ग्राम बास्याहेडी के ख0 नं0 341 की कृषि आराजीयात में पक्की बाउण्ड्रीवाल हो रखी है जिसके मुआवजे की राशि 1,50,000/- प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है, अवार्ड में उक्त राशि का मुआवजा प्रार्थी को नहीं दिया गया है। प्रार्थी को अवार्ड पारित किये जाने की दिनांक 23.5.2018 से पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। अवार्ड पारित होने की सर्वप्रथम जानकारी की तारीख 23.5.2018 से यह प्रार्थना पत्र अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थी को प्रचलित बाजार दर 2,53,500/- प्रति बीघा के तीन गुना के हिसाब से भूमि की कीमत की गणना कर एवं खसरा नम्बर 341 में स्थित बाउण्ड्रीवाल का मुआवजा तदनुसार सोलेशियम की राशि व अन्य देय लाभ प्रार्थी को दिये जाने के सम्बन्ध में संशोधित अवार्ड पारित किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

5. वकील रेस्पोंडेंट ने अपने जवाब के विशेष कथन में तथ्यों को दौहराते हुए जाहिर किया कि सक्षम प्राधिकारी प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति) रामगंजमण्डी द्वारा भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (ए) के अन्तर्गत गजट अधिसूचना दिनांक 7.4.2017 दिनांक 13.6.2017 एवं दिनांक 23.8.2018 द्वारा

जारी किया गया, जिसकी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-डी के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति हेतु गजट अधिसूचना दिनांक 21.7.2017 एवं 29.9.2017 द्वारा जारी की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत 3जी(5) एवं संशोधित अधिनियम 1997 संपठित मध्यस्थ अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा एवं पदेन मध्यस्थ सुलह अधिकारी कोटा के समक्ष 14 प्रकरण एवं अन्य प्रस्तुत हुये हैं जो कि तहसील रामगंजमण्डी के ग्राम बारयाहेडी, अरनियां कला, गोला से संबंधित हैं। उक्त ग्रामों के कई भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा मुआवजा राशि नहीं लिये जाने अथवा कब्जा नहीं दिये जाने जैसे प्रकरणों के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ई के उपधारा 2 मुआवजा राशि नहीं लिये जाने के अन्तर्गत प्रथम लोक सूचना दिनांक 8.5.2018 को दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित कर दी गयी थी जिसके 60 दिवस की अवधि दिनांक 7.7.2018 को पूर्ण की जा चुकी है, तदुपरान्त धारा 3-ई की उप धारा 2 के अन्तर्गत द्वितीय लोक सूचना दिनांक 10.9.2015 को दैनिक भास्कर एवं राज0 पत्रिका में सूचना प्रकाशित की जा चुकी है, जिससे यह सिद्ध है कि प्रार्थीगण के अपने प्रार्थना पत्र में सूचना नहीं, दिये जाने का कथन मिथ्या एवं त्रुटिपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-ई की उप धारा (2) के अंतर्गत नोटिस जारी किये जाने की तिथि से 60 दिवस की समयवधि पूरी हो जाने के कारण जिला कलेक्टर कोटा को कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी को भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का प्रावधान है। उक्त सभी कारण भूमि की डीएलसी दर से संबंधित है एवं आपसे निवेदन है कि भविष्य में इन प्रकरणों में होने वाली निर्णय एवं निर्णय अनुसार नियमबद्ध कार्यवाही करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वचनबद्ध है। अतः निवेदन है कि तहसील रामगंजमण्डी के ग्राम बारयाहेडी, अरनियां कला, एवं गोला में भूमि अवाप्ति के लम्बित उपरोक्त 14, एवं अन्य प्रकरणों का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3-ई के उप-धारा -2 के प्रावधानों के तहत अवाप्तशुदा भूमि को, भूमि के कब्जे हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को, पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देशित आदेश प्रदान करें एवं समस्त मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जा सकें। ताकि आमजन के हित में परियोजना का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सकें।



6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर गणना किया, पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र नेशनल हाईवे अधिनियम की धारा 3 जी(5) आबीट्रेशन एक्ट के तहत प्रस्तुत कर भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0नं0 341 की 0.383 एवं 0.0631 हे0 कृषि भूमि, ख0नं0 399 की 0.2419 हे0 एवं 0.0792 हे0, ख0नं0 402 की 0.0050 हे0 एवं 345 की 0.120 हे0 एवं 0.0228 हे0 कृषि भूमि का मुआवजा दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 को को प्रतिपक्षी नं0 1 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा उक्त अवाप्ति अधिसूचना की प्रचलित डीएलसी से मुआवजे का निर्धारण भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार गणना कर मुआवजा तय किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क में बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मात्र ग्राम अरन्याकला का एक पंजीकृत दरतावेज पंजीयन क्रमांक 2015000792 दिनांक 13.5.2015 का प्रस्तुत है जबकि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के नियम 26(1)(बी) के अनुसार औसत विक्रय मूल्य समान किरम की भूमि समीपस्थ गाँव के विक्रय को आधार मानकर तय करने का प्रावधान है। प्रार्थी ने मात्र एक विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उरा विक्रय मूल्य को औसत बाजार मूल्य नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 में कोई हस्तक्षेप का तौर कारण पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र आधारहीन प्रतीत होता है।

12/11/17
जिला कलेक्टर
कोटा

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.9.2017 एवं दिनांक 16.11.2017 यथावत रखा जाता है ।
8. निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर

